Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

फाइल सं. सी-23/2011-एमपीलैड्स (खण्ड-III)

Dated ....दिनांक: 15 मई, 2013

सेवा में,

1. आयुक्त, कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स)- परियोजनाओं की सूची (एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का पैरा 3.27)

महोदय,

एमपीलैड्स का मुख्य उद्देश्य स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों पर आधारित सामुदायिक स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु विकासात्मक प्रकृति के कार्यों को करना है ।

2. कार्य एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार किए जाने होते हैं ।

3. दिशानिर्देशों के पैरा 3.27 में परियोजनाओं की सूची दी गई है जिनका जिला प्राधिकारी रखरखाव करेगा । यह सूची निर्देशात्मक, उदाहरणात्मक सूची हो सकती है ।

4. यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित मदें निर्देशात्मक तथा उदाहरणात्मक परियोजनाओं की सूची में शामिल की जाएं जिनका जिला प्राधिकारियों द्वारा रखरखाव करना होता है । (पैरा 3.27 में संदर्भित):

I. <u>रेलवे से संबंधित कार्य</u>

(i) लेवल क्रोसिंग (मानव युक्त अथवा मानव रहित) के स्थान पर रोड अंडर ब्रिज का निर्माण
(ii) जहां रोड ऑवर ब्रिज (आरओबी) उपलब्ध नहीं हैं वहां सीढ़ियों का निर्माण
(iii) रेल पटरियों को पार करने के लिए पैदल चलने वालों/सड़क का उपयोग करने वालों के लिए फुट ऑवर ब्रिज (एफओवी) का निर्माण
(iv) लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर डाइवर्सन रोड का निर्माण
(v) जहां रेलवे पटरी के दोनों ओर सड़क के निर्माण के कारण, रेलवे पटरी पर अप्राधिकृत क्रॉसिंग है अथवा पशु पार करते हैं वहां रोड अंडर ब्रिज का निर्माण

(vi) रेलवे स्टेशन को पहुंच मार्ग का निर्माण

(vii) रेलवे स्टेशन के संचारी क्षेत्र का निर्माण

(viii) रेलवे स्टेशन के संचारी क्षेत्र में यात्रियों के लिए अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण

(ix) रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म का निर्माण

(x) रेलवे स्टेशन पर फुट ऑवर ब्रिज का निर्माण

(xi) स्टेशन परिसर में प्लेटफार्म शेल्टर का निर्माण

(xii) स्टेशन परिसर में पेयजल का प्रावधान

(xiii) स्टेशनों पर चालित सीढ़ी/ट्रेवलेटर का प्रावधान

(xiv) स्टेशन/लेवल क्रॉसिंग गेट पर सोलर लाइटिंग का प्रावधान

(xv) स्टेशनों पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं (जैसे रेम्प, अलग शौचालय आदि)

II. <u>खेलकूद से संबंधित कार्य</u>

(i) ग्राम-स्तर/ब्लाक स्तर पर खेल मैदान/खेलकूद सुविधाओं का निर्माण

(ii) खेल के लिए बहुउद्देश्यीय हॉल का निर्माण

(iii) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्थायी प्रकृति की सिंथेटिक हॉकी तथा फुटबाल टर्फ बनाना

(iv) व्यायामशालाओं (स्वस्थता केंद्रों) का निर्माण

(v) जिला मुख्यालयों में दर्शकों के बैठने के लिए कंक्रीट के छोटे ओपन-एअर स्टेडियम का निर्माण

III. <u>पशु-पालन, डेयरी तथा</u>

(i) पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों का निर्माण

(ii) सीमेन बैंकों के लिए भवनों एवं स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण

IV. <u>कृषि से संबंधित कार्य</u>

(i) किसानों के प्रशिक्षण एवं सहायता केंद्रों का निर्माण

(ii) मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का निर्माण वशर्ते किसी उपभोज्य वस्तु की अनुमति नहीं होगी

V. <u>स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता से संबंधित कार्य</u>

(i) मध्याह्न भोजन योजना के लिए सोलर गीजर तथा फिक्सड प्योरीफाइर युक्त भोजनालयों तथा रसोई घरों का निर्माण

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इसे एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करें ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ इनके लिए भी:

1. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल भवन
2. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन
3. सचिव, वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन
4. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन
5. सचिव, खेल एवं युवा कार्य मामले मंत्रालय, शास्त्री भवन
6. सचिव, पशुपालन तथा डेयरी विभाग, कृषि भवन
7. सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन
8. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन
9. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन